

प्रेस नोट दिनांक-29.09.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में पुरस्कार घोषित, इनामिया, हिस्ट्रीशीटर व मफरूर अपराधियों की धरपकड़े हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा तथा उनकी टीम द्वारा दिनांक 28.09.2020 को रात्रि गश्त के दौरान 11 वर्षों से फरार, 05 मुकदमों में वांछित, 40,000/-रु0 इनामिया व मफरूर अपराधी सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग के सदस्य रामप्रसाद उर्फ कल्लू उर्फ चिड़ी का गोटर पुत्र बड़कू उर्फ बड़कावन बढई निवासी मैनहाई थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट को एक तमंचा 315 बोर व दो कारतूस जिंदा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 38/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार शुदा अभियुक्त द्वारा दिनांक 11.03.2009 को सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग के साथ गौवस्ता खम्हरिया के पास पुलिस पार्टी पर फायर किया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु.अ.सं. 960/09 धारा 147,148,149,307IPC व 12/14 DAA Act पंजीकृत किया गया था तथा वर्ष 2010 में सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग के साथ मिलकर ललकी डांडी जंगल भरोसा के डेरा के पास वाहद ग्राम बरुई में बदमाश संजय यादव तथा एक अज्ञात बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा के मु0अ0सं0 43/10 धारा 147,148,149,302 IPC व 12/14 DAA Act में पंजीकृत किया गया था। यह अभियुक्त वर्ष 2009 में घटना कारति करने के बाद से लगातार फरार चल रहा था। उपरोक्त दोनों मुकदमों में माननीय न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित किया गया था तथा इसकी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा 25000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

दिनांक 17.11.2011 को गिरफ्तारशुदा अभियुक्त द्वारा सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग के साथ मिलकर महुदर पहाड़ जंगल में पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया था जिसमें ग्राम रक्षा समिति के सदस्य एवं मुखबिर कृष्ण कुमार गर्ग की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0 में मु.अ.सं.159/11 धारा 147,148,148,307,302 IPC व 25/27 Arm's Act व 13/11 AD Act पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमों में पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 15000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त द्वारा सुन्दर पटेल उर्फ रागिया गैंग के साथ अन्य कई घटनाएं कारित की है जिनके सम्बन्ध में इसके विरुद्ध म0प्र0 एवं उ0प्र0 के थानों में हत्या, हत्या के प्रयास एवं पुलिस मुठभेड़ के 08 मुकदमों पंजीकृत हैं तथा सभी मुकदमों में वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु.अ.सं. 43/10 धारा 147,148,149,302 IPC व 12/DAA Act थाना बहिलपुरवा ,चित्रकूट
2. मु.अ.सं. 960/09 धारा 147,148,149,307IPC व 12/14 DAA Act थाना कोतवाली कर्वी चित्रकूट
3. मु.अ.सं. 151/11 धारा 147,148,149,342,387,506 IPC थाना मानिकपुर चित्रकूट
4. मु.अ.सं. 14/11 धारा 147,148,149,387,353,323,427,504 IPC व 07 क्रि0ला0 अवे0 एक्ट व 14 डीएए एक्ट थाना मारकुण्डी चित्रकूट
5. मु.अ.सं. 1010/10 धारा 364/323/504/506/120बी IPC 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मानिकपुर चित्रकूट
6. मु.अ.सं.19/10 धारा 147,294,323IPC व 25/27 Arm's Act व 11/13 AD Act व 171 ग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0
7. मु.अ.सं.59/10 धारा 307 IPC व 25/27 Arm's Act व 11/13 AD Act व 171 ग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0
8. मु.अ.सं.159/11 धारा 147,148,148,307,302 IPC व 25/27 Arm's Act व 13/11 AD Act थाना नयागांव जनपद सतना म0प्र0
9. मु0अ0सं0 38/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बहिलपुरवा

बरामदगी-

01 अदद तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा
2. उ०नि० श्री शेषनाथ सिंह यादव
3. आरक्षी संजय सिंह
4. आरक्षी रामकेश कुशवाहा
5. आरक्षी जयसिंह
6. आरक्षी अनुभव मिश्रा

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ०नि० श्री राधाकृष्ण तिवारी तथा उनकी टीम द्वारा हिमांशु द्विवेदी पुत्र मानधर द्विवेदी निवासी शंकरगढ प्रयागराज को 200 ग्राम सूखा गांजा नायाजय के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु०अ०सं० 506/2020 धारा 08/20 N.D.P.S. एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

200 ग्राम सूखा गांजा नाजायज

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्री राधाकृष्ण तिवारी
2. का० अनिल कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव थाना कर्वी चित्रकूट द्वारा अभियुक्त गोविन्द पुत्र गया प्रसाद निवासी मडथा ताला डिलौरा थाना कर्वी चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची मुआ शराब नाजायज के साथ मन्दाकिनी पुल पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु०अ०सं० 505/2020 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

10 लीटर कच्ची मुहुआ निर्मित नाजायज शराबों

बरामद करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव कोतवाली कर्वी
2. उ०नि० श्री इन्दल यादव
3. का० शिवकुमार
4. का० सोनू

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में वांछित एवं वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री सुशील चन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा तथा उनकी टीम द्वारा मु०अ०सं० 10/2020 धारा 354/507 भादवि व 67 आईटी एक्ट के वांछित अभियुक्त 1. अनज कुमार पुत्र कुलदीप नारायण व 2. सूरज प्रसाद पुत्र दिनेश तिवारी निवासी गण व्यास बन्ना थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील चन्द्र शर्मा
2. का० राजदेव
3. का० ललित कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पीआरवी 2050 थाना मऊ को कालर राम विलास(मोबाइल नं0 8004327204) द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की ट्रक और मारुति में टक्कर से एक्सीडेन्ट हो गया है जिसमें 3 से 4 लोग घायल हो गये हैं, इस सूचना पर पीआरवी 2050 द्वारा तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को जानकारी हुई कि एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर ओमनी वैन में टक्कर मार दी है जिससे 04 लोग गंभीर रूप से घायल हो गये है। पीआरवी 2050 द्वारा घायल व्यक्तियों 1.दयालू चौरसिया s/o कुंजी लाल r/o चंदेर थाना चंदेर जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश 2. संध्या चौरसिया w/o दयालू 3. रोहित चौरसिया s/o दयालू 4. ओमनी वैन ड्राइवर को एम्बुलेंस की सहायता से CHC अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया गया। घायलो के साथ इनके परिवारीजन मौजूद है।

पीआरवी स्टाफ-

1. कमांडर – हे0का0 रामस्वरूप
2. सब कमांडर का0 जुबैर अली
3. महिला का0 शिल्पा पांडेय
4. महिला का0 शिखा सिंह
5. पायलट का0 जयकरन सिंह यादव

(6). पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पीआरवी 2049 थाना मऊ को कालर राम निरंजन(मोबाइल नंम्बर 8561858763) द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि बाइक और साइकिल का एक्सीडेन्ट हो गया है एवं 02 लोग घायल हैं, इस सूचना पर पीआरवी 2049 थाना मऊ द्वारा तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची, घटनास्थल पर पीआरवी 2049 के कर्मियों को जानकारी हुई कि एक मोटरसाइकिल सवार ने एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों लोग घायल हो गये हैं, पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल दोनों घायलो को पीआरवी वाहन द्वारा सीएचसी अस्पताल रामनगर में भर्ती कराया गया। घायलो के परिजनों को सूचना दी गयी।

पीआरवी स्टाफ-

1. कमांडर - हे0 का0 संतराम
2. सब कमांडर – का0 सुरेंद्र कुमार
3. पायलट – का0 इजहार अहमद

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रूप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री के.के. मिश्रा एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ द्वारा मु0अ0सं0 138/14 धारा 147/148/149/120बी/302/307 भादवि0 व 25/27/30 आर्म्स एक्ट में नामित अभियुक्त मोहित उर्फ पुष्पेन्द्र 2. रोहित उर्फ महेन्द्र 3. सोहित उर्फ अखिलेश पुत्रगण जगन्नाथ चतुर्वेदी निवासीगण पथरहाई मजरा हनुआ थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास एवं 10000/-10000/- रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14/11/2014 को अभियुक्त उपरोक्त द्वारा ग्राम पथरहाई में खेतों में पानी के विवाद को लेकर रामसंवारे पुत्र वाले चतुर्वेदी, सोनू , नरेन्द्र पुत्रगण रामसंवारे पर अपनी लाईसेंसी राईफल से फायर किया था जिसमें पिता रामसंवारे एवं उनके पुत्र सोनू की मृत्यु हो गयी थी तथा नरेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गये थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 138/14 धारा 147/148/149/120बी/302/307 भादवि0 व 25/27/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था।